



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112022-240575  
CG-DL-E-25112022-240575

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2022/अग्रहायण 3, 1944

No. 5252]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2022/AGRAHAYANA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

**का.आ. 5481(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के सूर्यपेट जिले में NH-365A के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 10.100 ( ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूर्यपेट) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल कलेक्टर सूर्यपेट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365ए के किमी. 0.000 से किमी.10.100 (कोडाद-खम्मम खंड) तक भूमि के खंड के भीतर आने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: सूर्यपेट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: अनंतगिरि					
गांव का नाम: अनंतगिरि					
1	468	निजी(४६८)	आवासीय	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
2	523	निजी(५२३)	वेट	160.0000000(वर्ग मीटर)	0.0160000
3	604	निजी(६०४)	ड्राई	1,500.0000000(वर्ग मीटर)	0.1500000
4	605	निजी(६०५)	ड्राई	150.0000000(वर्ग मीटर)	0.0150000
5	642	निजी(६४२)	ड्राई	600.0000000(वर्ग मीटर)	0.0600000
6	645	निजी(६४५)	वेट	400.0000000(वर्ग मीटर)	0.0400000
7	647	निजी(६४७)	वेट	2,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.2000000
8	648	निजी(६४८)	वेट	450.0000000(वर्ग मीटर)	0.0450000
9	676	निजी(६७६)	वेट	110.0000000(वर्ग मीटर)	0.0110000
10	682	निजी(६८२)	ड्राई	1,000.0000000(वर्ग मीटर)	0.1000000
11	686	निजी(६८६)	ड्राई	450.0000000(वर्ग मीटर)	0.0450000
12	Gramkantam	सरकारी	ड्राई	350.0000000(वर्ग मीटर)	0.0350000
कुल				7,200.0000	0.7200

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2022

**S.O. 5481(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-365A in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 10.100 (Kodad - Khammam Section) in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector, Suryapet in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km.10.100 (Kodad - Khammam section) of the National Highway No. 365A in the district of SURYAPET in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA		District: SURYAPET			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ananthagiri					
Village: Ananthagiri					
1	468	Private(468)	Residential	30.0000000(Square Meter )	0.0030000
2	523	Private(523)	wet	160.0000000(Square Meter )	0.0160000
3	604	Private(604)	Dry	1,500.0000000(Square Meter )	0.1500000
4	605	Private(605)	Dry	150.0000000(Square Meter )	0.0150000
5	642	Private(642)	Dry	600.0000000(Square Meter )	0.0600000
6	645	Private(645)	wet	400.0000000(Square Meter )	0.0400000
7	647	Private(647)	Wet	2,000.0000000(Square Meter )	0.2000000

8	648	Private(648)	Wet	450.0000000(Square Meter )	0.0450000
9	676	Private(676)	wet	110.0000000(Square Meter )	0.0110000
10	682	Private(682)	Dry	1,000.0000000(Square Meter )	0.1000000
11	686	Private(686)	Dry	450.0000000(Square Meter )	0.0450000
12	Gramkantam	Government	Dry	350.0000000(Square Meter )	0.0350000
<b>Total</b>				<b>7,200.0000</b>	<b>0.7200</b>

[F. No. NHAI/PIU-KMM/DPR/LA/2016/3A2]

RAJESH GUPTA, Director